महत्वपूर्ण एवं खास

दो कृषि दुकानों का लाइसेंस रद्द, कृषि विभाग की कार्यवाई जारी

कवर्धा (आरएनएस)। कृषि विभाग द्वारा लगातार कृषि दवाई व खाद्य दुकानो पर कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एम डी डड़सेना के निर्देश पर कृषि विभाग के टीम द्वारा विकासखंड बोड़ला के रीना कृषि केंद्र एवं छत्तीसगढ़ कृषि ट्रेडर्स बोड़ला में अकास्मिक निरीक्षण कर छापेमारी की गई। जिसमे कृषि केन्द्रों में अनियमितता पाई गई। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज को बिना स्टाक पंजी तथा बिना बिल बुक विक्रय किया जा रहा है। उक्त बोड़ला के दोनों कृषि केंद्रों के लाइसेंस को निलंबित की कार्यवाही की गई। इस प्रकार लगातार कृषि दुकानों में अनियमितता पाए जा रहे है। जिस पर कृषि विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है।

लूटपाट व ग्रामीण की हत्या में शामिल 5 नक्सली गिरफ्तार

सुकमा (आरएनएस)। जिले के कोंटा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीणों से लूटपाट कर ग्रामीण की हत्या में शामिल 05 नक्सली मिलिशिया सदस्य माड़वी सोना उम्र 30 वर्ष, माड़वी पाण्डू उम्र 31 वर्ष, डीएकेएमएस सदस्य बारसे गंगा उम्र 45 वर्ष, आरपीसी अध्यक्ष मडक़म हिड़मा उम्र 42 वर्ष, मिलिशिया सदस्य पोडिय़म हिड़मा पिता स्व. पोडियम लखमा उम्र 22 वर्ष सभी का निवासी कन्हाईगुड़ा थाना कोंटा जिला-सुकमा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को सुकमा न्यायालय के सीजेएम के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जनवरी के एक दिन पूर्व ग्राम बटेर निवासी माड़वी देवा उम्र 32 वर्ष की नक्सलियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी आरोपियों के त्वरित गिरफ्तारी व पतासाजी करने के लिए थाना कोंटा, एर्राबोर पुलिस सीआरपीएफ 217 की संयुक्त बल के द्वारा घटना में शामिल नक्सली आरोपियों की धरपकड़ के लिए ग्राम कंहाईगुड़ा, बटेर व आसपास क्षेत्रों में रवाना हुई थी कि अभियान के दौरान ग्राम कंहाईगुड़ा जंगल से दबिश देकर 05 नक्सली आरोपियों को गिरफ्तार किया।

नक्सली मुठभेड़ मामले में 35 नक्सलियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

कांकेर (आरएनएस)। जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम कोसरोंडा कैम्प के पास जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जिसमें दोनों तरफ से भारी भरकम हथियारों का उपयोग करते हुए गोलियां दागी गई। इस मुठभेड़ में जवान सुरक्षित लौट आए। वहीं कुछ नक्सलियों के मारे जाने या उनके घायल होने का दावा पुलिस कर रही है। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 06 नामजद समेत 35 नक्सलियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 फरवरी की रात करीब 12:30 से 01 बजे के बीच कोसरोंडा के कैम्प से लगे हुए रेखाभाट के जंगल पहाड़ी में डीआरजी व एसएसबी कैम्प के जवान नक्सल गस्त सर्चिंग व एम्बुसिंग की कार्रवाई पर निकले थे। उसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सली की जवानों से मुठभेड़ हो गई, जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्यवाही में कुछ नक्सली भाग खड़े हुए, इस मुठभेड़ में नक्सलियों ने आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के मामले में 35 नक्सलियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है।

तेज रफ्तार अनियंत्रित मेटाडोर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, नानी-नाती की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। रतनपुर थाना क्षेत्र में मेटाडोर की टक्कर से बाइक सवार नानी-नाती की मौत हो गई है। रतनपुर थाना प्रभारी हरविंदर सिंह ने बताया कि घटना 20फरवरी रात की है। ग्राम भरारी में रहने वाले विजय साहू 25 वर्ष रविवार को सिरगिट्टी क्षेत्र के ग्राम हरदी में अपने मामा घर आया था। रात में वह अपनी नानी सुखन बाई साहू 65 को बाइक में लेकर अपने गांव लेकर जा रहा था। तभी मोहतराई ओवरब्रिज में सामने से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित मेटाडोर ने गलत दिशा में लाकर उन्हें टक्कर मार दिया। इस हादसे में विजय साहू व उसकी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, विजय की सिम्स में इलाज के दौर मौत हो गई।

बालगृह से भागकर नहर में डूबने का मामला: अधीक्षक को हटाने दिये निर्देश

कोरबा (आरएनएस)। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन एनजीओ के माध्यम से दर्री में संचालित बाल गृह के संचालन में लापरवाही की वजह से भागकर नहर मे नहाने गए दो बच्चे डूब गए। इसमें से एक ने तो किसी तरह से अपनी जान बचा ली मगर दूसरे का घटना के 30 घंटे से भी अधिक समय बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस और गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। वहीं मामले में कलेक्टर रानु साहू ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बाल गृह के अधीक्षक को तत्काल हटाए जाने का निर्देश देते पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए कमेटी कर दी है। समिति 2 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करेगी जिसके आधार पर एनजीओ के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होगी।

दर्री थाना अंतर्गत दर्री में बाल गृह का संचालन किया जा रहा है। यहां देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को रखा जाता है। ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके मां-बाप पालन पोषण नहीं कर सकते। यहां करीब ऐसे ही 28 बच्चे रहते हैं। इस बीच शनिवार सुबह बाल गृह प्रशासन में तब हडक़ंप मच गया। जब उन्हें पता चला कि बाल गृह से 2 बच्चे गायब हैं। एक बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है तो दूसरा 7वीं में पढ़ता था। बच्चों की उम्र 12 और 14 साल है। दोनों सुबह 7 बजे से गायब थे। इसकी खबर बाल गृह प्रशासन ने दर्री पुलिस को दिया। दोपहर 12 बजे के आस-पास की दोनों बच्चे भागकर बालको क्षेत्र के शिवनगर रुमगरा के पास बहने वाले नहर में नहाने के लिए पहुंच गए। दोनों नहाने के लिए जिस जगह पर कूदे वह जगह काफी गहरी थी, दोनों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। इसके बाद 7वीं में पढऩे वाला बच्चा वहीं डूब गया जबकि 5वीं लास में पढऩे वाले बच्चे ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस को मौके से बच्चे का कपड़ा मिला। जिस बच्चे ने अपनी जान बचाई, वह नहर के पास से भागता हुआ सीधा बाल गृह पहुंच गया और पूरी जानकारी प्रबंधन को दी। दोपहर करीब 2 बजे प्रबंधन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद बच्चे की तलाश शुरू की गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन शनिवार शाम तक भी उसका कुछ पता नहीं चला।

रविवार सुबह से भी उसकी तलाश जारी रही फिर भी दिन भर कुछ पता नहीं चल सका। जान बचाकर वापस लौटे 5वीं के छात्र ने बताया कि दोनों शनिवार सुबह 7 बजे भाग गए थे। प्लान बनाया था कि दोनों घूमेंगे। भागने का मौका तब मिला जब सुबह काम करने वाली बाई ने पीछे का दरवाजा खोल रखा था। दरवाजा खुला देख मौका पाकर दोनों निकल गए। वहां पर एक साइकिल थी जिसे लेकर नहर के पास गए थे। शनिवार को आस-पास के लोग भी मौके पर पहुंचे थे। इस बांध से आस-पास के प्लांट को पानी सप्लाई किया जाता है। इसी वजह से इस नहर में पानी का तेज बहाव था। जिस जगह पर बच्चे पहुंचे थे वो जगह भी काफी गहरी है। यही वजह है कि बच्चे का अब तक कुछ पता नहीं चला है।

कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बाल गृह संचालन में लापरवाही के कारण बालक के बाल गृह से निकलकर नहर में डूबने का मामला सामने आने पर अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर कलेक्टर रानू साहू ने जांच दल गठित कर संबंधित एनजीओ के जिम्मेदारों पर भी करवाई के निर्देश दिए हैं। समिति 2 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। जांच दल में अपर कलेक्टर सुनील नायक, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग एमडी नायक एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री सुश्री लितेश सिंह शामिल हैं।

पटवारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया

रायपुर (आरएनएस)। रायगढ़ से वकीलों राजस्व कर्मियों के विवाद के बाद राज्य सरकार ने पटवारियों पर सख्ती बरतते हुए जारी आदेश में कहा है कि अब कोई भी पटवारी अगर जमीन के सीमांकन, नामांकरण या अन्य कार्य के लिए रिश्वत की मांग करता है, तो जारी हेल्पलाइन नंबर 9630524516 टोल फ्री नं 155343 पर पटवारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराए। इसके बाद जिले के अदालतों में 15 फरवरी तक वैसे ही सुनवाई कोविड-कायदों के बीच होती रही है। अब सोमवार से सिविल और राजस्व न्यायालय में सामान्य सुनवाई होने की बात कही जा रही है।

गौरतलब है कि रायगढ़ से वकीलों राजस्व कर्मियों के विवाद का पटाक्षेप जल्द होता नजर नहीं आ रहा है। विवादित दोनों पक्ष परस्पर एफआईआर लिखवाने, कुछ वकीलों की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने की मांग, बिना वजह तूल देते सरकारी दफ्तर व कचहरियों में तालाबंदी को लेकर हाईकोर्ट में दर्ज याचिका तो कहीं थाने और डीएम के सामने शिकायत दर्ज करवाने की मांग पर वकील वर्ग अड़ा है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर आगाह किया है।

मुर्गीपालन से मिला अतिरिक्तआय का जरिया, कमाए 72 हजार रूपए

रायगढ़। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन में महती भूमिका निभा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर बनायी गई शासन की योजनाओं के फलस्वरूप आज ग्रामीण अंचल में लोगों को रोजगार व उनके आय में वृद्धि के लिए काफी सहायक साबित हो रही है। इन योजनाओं से युवा, महिला एवं किसान सभी वर्गो को लाभ मिल रहा है।

जनपद पंचायत खरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत जबलपुर निवासी नीलावती डनसेना भी उनमें से एक है, जिन्होंने शासन की योजना का लाभ लेकर अतिरिक्त आय का जरिया निर्मित कर परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग प्रदान कर रही है। पूर्व में नीलावती डनसेना का पूरा परिवार

के लिए आय का मुख्य स्त्रोत कृषि एवं घर में संचालित दुकान था। जिससे परिवार के सदस्यों की केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती थी। इसके पश्चात डनसेना द्वारा आजीविका में वृद्धि एवं बचत के उद्धेश्य से स्व-सहायता समूह की सदस्यता ली। स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका में वृद्धि के लिए मनरेगा कार्य से लाभान्वित किया जाना था। जिसका लाभ देते हुए नीलावती डनसेना को उनकी आवश्यकतानुसार मुर्गी पालन शेड निर्माण की स्वीकृति ग्राम पंचायत को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रदाय की गई। निर्धारित समय में कार्य निर्माण होने के पश्चात उनके द्वारा 100 मुर्गियों का पालन किया जा रहा है। नीलावती डनसेना ने बताया कि उनके द्वारा मुर्गी का विक्रय कर लगभग 72 हजार रूपए का अतिरिक्त आय प्राप्त किया जा चुका है। प्राप्त लाभ से डनसेना द्वारा मुर्गीपालन व्यवसाय को वृहद स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे परिवार की आजीविका में अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर सके। नीलावती डनसेना द्वारा योजनाओं से प्राप्त लाभ को अन्य लोगों को भी बता रही है। जिससे प्रेरित होकर ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य लोग भी आजीविका संवर्धन के लिए संचालित गतिविधियों से जुडऩे लगे है, साथ ही आयमूलक योजनाओं की जानकारी ले रहे है। नीलावती डनसेना ने आजीविका एवं आयमूलक गतिविधियों को संचालित करने के लिए शासन-प्रशासन का आभार व्यक्त की है।

कोविड-19 संक्रमण में आई कमी के बाद शतप्रतिशत क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने का आदेश जारी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में कोविड-19 संक्रमण में आई कमी के बाद एक बार फिर से शतप्रतिशत क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से बीते दो सालों से स्कूलों में ऑफलाईन पढ़ाई ठप्प पड़ी हुई है। हालांकि बीच-बीच में कोविड-19 संक्रमण में आई कमी के दौरान स्कूलों को खोलने का आदेश जारी हुआ, लेकिन उस पर भी कोरोना की वक्रदृष्टि पड़ गई और स्कूल खुलकर बंद भी हो गए, वहीं छोटे बच्चों जिसमें प्री-प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चे शामिल हैं। लेकिन अब सभी स्कूलों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाना सबसे ज्यादा जरुरी था, जिसके चलते शासन स्तर से स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। उस आदेश को निरस्त करते हुए अब, चूंकि परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं और नया शिक्षण सत्र भी आने को है। ऐसे में राज्य सरकार ने प्राइमरी से लेकर 12 वीं तक की कक्षाओं को नियमित तौर पर शुरु किए जाने का आदेश जारी किया है।

मुआवजा को लेकर रेल कारीडोर का काम दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने रखा बंद

कोरबा (आरएनएस)। मुआवजा दिए बगैर किसानों की जमीन में रेल कारीडोर बिछाने का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीण रेल कारीडोर में धरना देकर बैठ गए। उनका कहना है कि जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा पहले प्रदान किया जाए, उसके बाद निर्माण कार्य करने दिया जाएगा।

गेवरारोड़. पेंड्रारोड रेल कारीडोर निर्माण के लिए ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित की गई है। इसके एवज में मुआवजा ग्रामीणों को दिया जाना थाए पर अभी तक मुआवजा नहीं मिला और रेल कारीडोर का काम शुरू हो गया। इस पर छत्तीसगढ़ किसान सभा की अगुवाई में पुरैना नदी के पास ग्रामीणों ने गेवरा.पेंड्रा रोड रेल कारिडोर निर्माण का काम रोक दिया। निर्माण एजेंसी को उम्मीद थी कि एक दिन के विरोध के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा, पर दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने काम बंद करा कर रखा। तंबू गाडक़र विरोध प्रदर्शन हुए धरने में बैठे गए। किसानों का आरोप है कि उनकी अधिग्रहित जमीन और पेड़ों का मुआवजा उन्हें अभी तक मिला नहीं है और अपनी जमीन रेल कारिडोर में अधिग्रहित होने के बाद कार्यालयों का चक्कर काट कर थक चुके हैं। ग्रामीणों के विरोध और आक्रोश को देखते हुए दूसरे दिन भी रेल कॉरिडोर का काम रुका रहा। किसान सभा ने घोषणा की है कि किसानों के मुआवजा प्रकरण का निराकरण होने तक रेल कारिडोर का कार्य का काम होने नहीं दिया जाएगा।

रायगढ़ आबकारी और फ्लाइंग स्क्वाड ने की सघन कार्यवाही

रायगढ़। आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी ने रायगढ़ जिले में अवैध मदिरा पर सख्ती से रोकथाम में सहायता के लिए उपायुक्त एस.एल. पवार एवं सहायक आयुक्त यदुनंदन राठौर फ्लाइंग स्कवॉड को निर्देशित किया है। रायगढ़ के सहायक आयुक्त प्रकाश पाल के मार्गदर्शन में बीस महत्वपूर्ण प्रकरण कायम कर कोर्ट से आरोपियों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा गया है।

जिले के एडीईओ रमेश अग्रवाल और विमल तिर्की के साथ राजेन्द्र तिवारी की टीम ने सारंगढ़ क्षेत्र के साराडीह गांव में गिरिजा सतनामी को अपने घर से 20 लीटर अवैध शराब डिब्बा और जरकीनों में भर कर बेचने के लिए रखा हुआ पाया। आरोपिया गिरिजा सतनामी को धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर सारंगढ़ कोर्ट से रिमांड पर जेल भेजा गया। गस्त के दौरान टीम को साल्हेओना गांव में भारी मात्रा में शराब बिक्री की सूचना मुखबिर ने दी, इस पर तत्काल छापा मारने पर रमेश सहीस फुनु सहीस को 12 लीटर शराब पाउच में बेचने की तैयारी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी रमेश सहीस के विरूद्ध आबकारी धाराओं के तहत प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत करने पर 14 दिनों हेतु जेल दाखिल करने का आदेश दिया गया।

ओडिशा बार्डर के बिरनीपाली जॉच चौकी के पास चेकिंग के दौरान मोटर सायकल से शराब लेकर आते गोपी सेठ को पकड़ा गया। मोटर सायकल ओडी 17 एच 7928 में रखकर 25 लीटर शराब लाई जा रही थी। आरोपी गोपी सेठ ग्राम कोडपल्ला ओडिशा का निवासी है। उसे विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। अमूर्रा गांव में शराब बेचे जाने की शिकायत जॉच के दौरान आबकारी दल ने संजय मराठा पिता दामोदर मराठा के रिहायसी मकान के तलाशी ली जिसमें कमरे से 85 पाउचों में भरी हुई ओडिशा की महुआ शराब बरामद कर जप्त की गई। आरोपी संजय मराठा को अजमानतीय धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई।

टिमरलगा क्रशर क्षेत्र में कच्ची शराब बेचने की सूचना मुखबीर से मिलने पर टीम ने कार्यवाही की। जिसमें टेमराम सिदार को 40 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा। आरोपी ने गाडियों के मोबिल के बीस-बीस लीटर साईज वाले दो डिब्बो में शराब भर कर रखी थी जो जॉच दल के नजर से छुपा न रह सका। टेमराम ने बताया कि टिमरलगा में कई क्रशर है जिसमें शराब की बिक्री कर ले रहा था।

न्यू मामा कैफे, मैगी कैफे सहित श्याम चावला कंपनी के 16 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर

अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वाले बख्शे नहीं जाएगें: कलेक्टर सौरभ कुमार

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के निर्देश पर नवा रायपुर से लगे गांवो में अवैध प्लॉटिंग, बिना अनुज्ञा के निर्माण पर अतिक्रमण पर कल शुरू हुई कार्रवाई आज भी जारी रही। जिला प्रशासन के राजस्व अधिकारियों और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त दस्तें में आज भी नवा रायपुर के लेयर दो में वी.आई.पी रोड से लगे टेमरी और बनरसी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। आज वी.आई. पी रोड से लगे न्यू मामा कैफे और मिस्टर मैगी दा कैफे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। न्यू मामा कैफे के लिए लगभग 30 डिसमिल भूमि पर मालिक मनीष सिंह ने बिना अनुज्ञा के भवन निर्माण कराया था और अवैध रूप से व्यावसायिक रेस्टोरेंट चला रहे थे। प्रशासन ने आज इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इसी तरह गायत्री शर्मा और आशीष शर्मा के मिस्टर मैगी द कैफे पर भी आज प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मिस्टर मैगी द कैफे में लगभग 20 डिसमिल भूमि पर बिना अनुज्ञा किए गए निर्माण और अवैध रूप से व्यावसायिक रेस्टोरेंट चलाने के कारण कार्रवाई की गई।

इसके साथ ही आज टेमरी में श्याम चावला एंड कंपनी द्वारा लगभग 16 एकड़ में की गई अवैध प्लॉटिंग पर भी आज जिला प्रशासन और एन.आर.डी.ए के दल ने कार्रवाई की। इस अवैध प्लाटिंग में नियमों की अनदेखी कर बनाए गए भवनों, मकानों और गोदाम को तोड़दस्ते ने धरासाई कर दिया। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने बताया कि आज की कार्रवाई से पहले ही संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे, नोटिस की समय-सीमा खत्म होने तक संबंधित लोगों द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर ने कहा कि अवैध प्लाटिंग, बिना परमिशन के अवैध रूप से बनाए गए भवनों और अतिक्रमण के विरूद्ध प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी स्थिती में अवैध प्लॉटिंग करने, अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इनके विरूद्ध निर्माण कार्यो को ताडऩे के साथ-साथ दूसरी विधी सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ब्राउन शुगर,चरस व गांजा तस्करी करते चार पकड़ाए

नारकोटिक्स सेल के गठन के बाद पहली बड़ी कार्यवाही

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में उड़ीसा से ब्राउन शुगर,टैबलेट गांजा,चरस लाकर रायपुर में खपाने के फिराक में घूम रहे चार लोगों को गिर$फ्तार किया है तथा उनके पास से 15 किलो गांजा,7400 नग नशीली टैबलेट सहित अफ ीम व चरस बरामद किया है। इनवहीं चार पहिया, दोपहिया, मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। ब्रॉउन शुगर, प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, गांजा एवं चरस के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर सहित 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज आनंद छाबड़ा द्वारा प्रतिबंधित नशीली टेबलेट-सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री तथा मादक पदार्थ गांजा एवं अन्य मादक पदार्थो की रोकथाम सहित अन्य राज्य व जिलों से आने वाले मादक पदार्थो एवं प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं सिरप की अवैध रूप से तस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत राजातालाब स्थित लोटस हॉस्पिटल के आसपास कुछ व्यक्ति नशीली टेबलेट एवं मादक पदार्थ बिक्री करने की फिराक में आने वाले है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नारकोटिक्स सेल, सायबर सेल एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए स्थान में जाकर आरोपियों को पकडऩे हेतु टैप पार्टी लगाकर इंतजार किया जाने लगा। इसी दौरान लोटस हॉस्पिटल के पास एक सूनसान स्थान में एक मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04 के वाय 0357 आकर रूका जिसमें तीन व्यक्ति सवार थे, जो अपने पास बैग में कुछ सामान रखें थे। टीम द्वारा व्यक्तियों के पास जाकर बातचीत का प्रयास करने पर तीनों भागने की कोशिश करने लगे जिन्हें टीम के सदस्यों द्वारा घेराबंदी कर दौड़ाकर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम तौकीर अहमद उर्फ बबलू निवासी राजातालाब सिविल लाईन रायपुर, शेख महबूब एवं रवि नारायण दीप निवासी उड़ीसा का होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा उनकी एवं उनके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर मादक पदार्थ गांजा, चरस एवं प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 किलो 500 ग्राम गांजा, 240 ग्राम चरस, 2400 नग नाइट्रोसन-10 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, तस्करी में प्रयुक्त पैशन प्रो मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/के वाय/0357 एवं 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 3,15,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की गई।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU